

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री कैलाश चन्द जैन निवासी वार्ड नं0 3 बिहारी जी का मन्दिर अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स अनुज किराणा स्टोर मेन मार्केट अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक राज0। मोबाईल नं. 9950400492।

2-मैसर्स अनुज किराणा स्टोर मेन मार्केट अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक(राज0)। पिनकोड -304023

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (iv) एवं दण्डनीय धारा 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पैरोकार सरकार।

2-अप्रार्थी श्री मुकेश कुमार जैन स्वयं उप।

:-निर्णय:-

दिनांक 20/6/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.01.2025 को समय 03:45 पी.एम. पर मैसर्स अनुज किराणा स्टोर मेन मार्केट अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर प्रोपरायटर की हैसियत से श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री कैलाश चन्द जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स अनुज किराणा स्टोर मेन मार्केट अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक पर खाद्य प्रदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री कैलाश चन्द जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री कैलाश चन्द जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में स्टील की एक टंकी में लगभग 10-12 किलोग्राम कच्ची घाणी सरसों तेल (खुला) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री कैलाश चन्द जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री कैलाश



AdL  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

लिन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर रसीद किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह कच्ची घाणी सरसों तेल (खुला) वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, दुकान में स्टील की एक टंकी में रखे लगभग 10-12 किलोग्राम में से कुल 1600 ग्राम नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा कच्ची घाणी सरसों तेल (खुला) 1600 ग्राम को अलग-अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के शिशियों में प्रत्येक में 400-400 ग्राम भरकर शिशियों के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाइट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4265 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-4265 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/244 दिनांक 05.03.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/169/एक्ट/2024/275 दिनांक 10.02.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया कच्ची घाणी सरसों तेल (खुला) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन (विकय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) नं. 2.3.15.(1)(b) के अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री मुकेश कुमार जैन स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र खुले में विकय करने के कारण उक्त नमूना कॉन्ट्रावेन स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।



Handwritten signature 'AdL' and the text 'आयुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टॉक' (District Food Inspector, Tonk).

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस कच्ची घाणी सरसों तेल (खुला) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 58 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **कच्ची घाणी सरसों तेल (खुला)** का नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (iv) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रुपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रुपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/6/2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



*(समरतन श्री करिया)*  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0